This is a digitally signed Gazette, to verify click here.
http://rajpatrahimachal.nic.in

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

मंगलवार 28 फरवरी, 2017 / 9 फाल्गुन, 1938

हिमाचल प्रदेश सरकार

शहरी विकास विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 23 फरवरी, 2017

संख्याः यू0डी0–ए0(3)–13 / 2015.––हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की राय है कि पथ विक्रेताओं को जीविका अर्जित करने के अवसर प्रदान करने के प्रयोजन के लिए समाज के इस महत्वपूर्ण वर्ग के सम्पूर्ण हित के दृष्टिगत यह समीचीन और आवश्यक है कि पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन)

अधिनियम, 2014 (2014 का अधिनियम संख्यांक 7) की धारा 38 के निबन्धनों के अनुसार एक स्कीम की विरचना की जाए ;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) अधिनियम, 2014 (2014 का अधिनियम संख्यांक 7) की धारा 38 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित स्कीम विरचित करते हैं, अर्थात्:––

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ**.––(1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) स्कीम, 2016 है।

(2) यह स्कीम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

2. **परिभाषा.––**(1) इस स्कीम में जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) ''अधिनियम'' से पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) अधिनियम, 2014 (2014 का अधिनियम संख्यांक 7) अभिप्रेत है ;

(ख) ''प्रमाण–पत्र'' से अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार किसी विशिष्ट व्यक्ति को कारबार चलाने के लिए प्राधिकरण द्वारा, प्रदान किया जाने वाला प्रमाण–पत्र अभिप्रेत है ;

(ग) ''फीस'' से स्थानीय प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध करवाई गई सेवा के बदले में पथ विक्रेता से प्रभारित की जाने वाली फीस अभिप्रेत है;

(घ) ''प्ररूप'' से इस स्कीम से संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है; और

(ङ) ''धारा'' से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है।

(2) समस्त अन्य शब्दों और पदों के, जो इस स्कीम में प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं हैं, वहीं अर्थ होंगे जो क्रमश अधिनियम में उनके हैं।

3. **सर्वेक्षण संचालित करने की रीति**.–(1) सम्बद्ध शहरी स्थानीय निकाय, जैसे कि, यथास्थिति, नगर निगम या नगरपालिका परिषद् या नगर पंचायत की नगर विक्रय समिति स्थल निरीक्षण द्वारा स्थल पर पथ विक्रेताओं की पहचान का सर्वेक्षण संचालित करने का अनुभव रखने वाले विशेषज्ञ अभिकरण नियोजित कर सर्वेक्षण का संचालन करवाएगी। सर्वेक्षण संचालित करने और विक्रय प्रमाण–पत्र जारी करने की सम्पूर्ण प्रक्रिया एक वर्ष की अधिकतम समय अवधि के भीतर पूर्ण की जाएगी और पश्चात्वर्ती सर्वेक्षण प्रत्येक पाँच वर्ष के पश्चात् संचालित किए जाएंगे। सर्वेक्षण के लिए निम्नलिखित पद्धतियां उपयोग में लाई जाएंगी,–

(*i*) भौगोलिक सूचना प्रणाली (जी.आई.एस.) मैपिंग;

(*ii*) डिजीटलाईज्ड फोटो जनगणना ;

(*iii*) फोटो पहचान पत्रों सहित बायोमीट्रिक ;

(*iv*) सर्वेक्षण के लिए प्रातःकालीन समय प्रातः 7:00 बजे से 10:00 बजे तक, दोपहर का समय 2:00 बजे अपरान्ह से 5:00 बजे अपरान्ह तक और सांयकालीन समय 6:00 बजे अपरान्ह से 9:00 बजे अपरान्ह तक ; और

(*v*) पथ विक्रय जोनों/क्षेत्रों में पथ विक्रेताओं की जागरूकता के लिए बाजार में इस निमित्त गठित दल द्वारा शिविर लगाकर।

(2) शहरी स्थानीय निकाय, पथ विक्रेताओं के स्थल पर सर्वेक्षण प्रारम्भ करने के नोटिस को स्थानीय दैनिक समाचार–पत्रों में अधिसूचित करवाएगी। नोटिस के साथ–साथ निम्नलिखित विनिर्दिष्ट किया जाएगा,–

(क) कैम्पस, बाजार / क्षेत्रवार, सर्वेक्षण की तारीख और समय;

(ख) शहरी स्थानीय निकायों से क्षेत्र का नोडल अधिकारी ; और

(ग) तारीख और समय, जब तक पथ विक्रेताओं के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदनों कों ग्रहण किया जाएगा।

4. प्रमाण–पत्र जारी करना.––सर्वेक्षण द्वारा पहचाने गए पथ विक्रेता को नगर विक्रय समिति द्वारा सर्वेक्षण की तारीख से अधिकतम तीन मास की अवधि के भीतर प्ररूप–1 में प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।

5. प्रमाण–पत्र जारी करने के लिए निबन्धन और शर्तें.––उन व्यक्तियों, जो दो सर्वेक्षणों की मध्यवर्ती अवधि के दौरान जो पथ विक्रय करना चाहते हैं, सहित पथ विक्रेताओं को निम्नलिखित निबन्धनों और शर्तों के अध्यधीन, विक्रय करने का प्रमाण–पत्र जारी किया जा सकेगा,–

(*i*) पथ विक्रय करने के सिवाय उसके पास अन्य कोई जीविका का साधन नहीं है;

(*ii*) उस व्यक्ति द्वारा किसी अन्य स्थान पर कोई वैसा ही विक्रय स्थल अधियोग मे नहीं होना चाहिए ;

(*iii*) वह स्वयं या अपने कुटुम्ब के सदस्यों के माध्यम से विक्रय करेगा ;

(*iv*) उसने सर्वेक्षण संचालित करते समय या आवेदन के समय चौदह वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो;

(*v*) विक्रय प्रमाण–पत्र किसी भी रीति में अन्य व्यक्ति को अन्तरित / पट्टान्तरित / भाड़े पर या विक्रीत नहीं किया जाएगा। इस प्रभाव का वचनबंध पथ विक्रेता द्वारा प्ररूप–2 में नगर विक्रय समिति को प्रस्तुत किया जाएगा ;

(*vi*) विक्रय प्रमाण–पत्र पर विक्रय कार्यकलाप करने वाले व्यक्ति का फोटाग्राफ होगा और यदि विक्रय करने के स्थल पर विक्रय में शामिल उसका / उसकी पति या पत्नी या उसका आश्रित है तो उस दशा में उक्त व्यक्ति को फोटोग्राफ में सम्मिलित किया जाएगा ;

(*vii*) नए पथ विक्रेता, जो दो सर्वेक्षणों की मध्यवर्ती अवधि के दौरान पथ विक्रय करना चाहते हैं, यथास्थिति, नगर निगम, नगरपालिका परिषद् या नगर पंचायत के माध्यम से विक्रय प्रमाण–पत्र के लिए आवेदन करेंगे; और

(*viii*) यथास्थिति, नगर निगम या नगरपालिका परिषद् या नगर पंचायत द्वारा नए स्थलों की पहचान करना, नए विक्रेताओं से आवेदन स्वीकार करने के साथ–साथ नए आवेदकों को आबंटन एक बार की प्रक्रिया नही है अपितु यह एक सतत् प्रक्रिया होगी।

6. पहचान पत्र जारी करने का प्ररूप और रीति.––सम्बद्ध स्थानीय प्राधिकरण, प्ररूप–3 में पहचान पत्र जारी करेगा।

7. विक्रय प्रमाण–पत्र जारी करने के लिए मानदण्ड.––अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, महिलाओं, निःशक्त व्यक्तियों, बेराजगार, शिक्षित युवा, विकलांग व्यक्ति / वरिष्ठ नागरिकों, एकल महिलाओं, महिला प्रधान गृहस्थी, महिला उद्यमकर्ताओं के स्वयं सहायता समूहों, अल्पसंख्यकों आदि के

लिए विक्रय स्थान आबंटित करते समय प्रत्येक स्थानीय प्राधिकरण / नगर विक्रय समिति निम्नलिखित क्रम में अधिमान दिया जाएगा :–

(*i*)	अनुसूचित जाति	–	5 %
(*ii*)	अनुसूचित जनजाति	–	2 %
(*iii*)	अन्य पिछड़ा वर्ग	–	3 %
(*iv*)	बेरोजगार / शिक्षित युवा	–	5 %
(*v*)	विकलांग व्यक्ति / वरिष्ठ नागरिक	–	2 %
(*vi*)	एकल महिला / महिला प्रधान गृहस्थी	–	2 %
(*vii*)	महिला उद्यमकर्ताओं के स्वयं सहायता समूह	–	3 %
(*viii*)	अल्पसंख्यक	–	2 %

टिप्पणः–आरक्षित प्रवर्गों को विक्रय स्थल आबंटित करने की दशा में एक कुटुम्ब को हिमाचल प्रदेश राज्य में केवल एक ही विक्रय स्थल आबंटित किया जाएगा।

8. विक्रय के लिए फीस.––विक्रय फीस, पथ विक्रेताओं के प्रवर्ग और बाजार की अवस्थिति के अनुसार प्रभार्य होगी। सामान्य प्रवर्ग के स्थायी विक्रेता के लिए न्यूनतम फीस केवल 500 / –रूपए (पांच सौ रूपए) और अधिकतम 1200 / –रूपए (एक हजार दो सौ रूपए) प्रति मास होगी और आरक्षित प्रवर्ग के लिए इसे 400 / –रूपए (चार सौ रूपए) से 1000 / –रूपए (एक हजार रूपए) के बीच प्रति मास प्रभारित किया जाएगा। सामान्य प्रवर्ग के अस्थायी विक्रेता के लिए न्यूनतम फीस केवल 300 / –रूपए (तीन सौ रूपए) और अधिकतम 900 / –रूपए (नौ सौ रूपए) प्रति मास होगी और आरक्षित प्रवर्गों के लिए इसे 200 / –रूपए (दो सौ रूपए) से 800 / –रूपए (आठ सौ रूपए) के बीच प्रति मास प्रभारित किया जाएगा। अन्य प्रवर्ग के विक्रेताओं, जैसे साप्ताहिक, काल सहभाजन आदि के लिए न्यूनतम फीस केवल 100 / –रूपए (एक सौ रूपए) और अधिकम केवल 600 / –रूपए (छह सौ रूपए) होगी।

9. आवश्यक प्रभारों का संदाय.––विक्रय फीस, अनुरक्षण प्रभार, विक्रय प्रमाण–पत्र के नवीकरण के लिए फीस और नियत तारीख के पश्चात् रजिस्ट्रीकरण के लिए शास्तियां और अन्य प्रभार, यथास्थिति, राष्ट्रीयकृत बैंकों और स्थानीय प्राधिकरण तथा नगर विक्रय समिति के पटलों (कांउटरज) के माध्यम से संगृहीत की जाएगी। प्रत्येक नगर विक्रय समिति का अपना एक बैंक खाता होगा। खाते की वार्षिक लेखा परीक्षा नगर विक्रय समित द्वारा की जाएगी। नगर निगम, नगरपालिका परिषद् और नगर पंचायत पथ विक्रेताओं से फीस संग्रहण को सुकर बनाने के लिए (बैंको के साथ सहभागिता से) नए तरीके इजाद करने के प्रयास करेगा / करेगी :

परन्तु विक्रय फीस के सिवाय अन्य प्रभार नगर विकय समिति द्वारा समय–समय पर निश्चित किए जाएंगे।

10. विक्रय प्रमाण–पत्र की विधिमान्यता की अवधि.––विक्रय प्रमाण–पत्र, जारी करने की तारीख से पाँच वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य होगा।

11. विक्रय प्रमाण–पत्र का नवीकरण.––(1) विक्रय प्रमाण पत्र, पांच वर्ष पूर्ण होने से पूर्व अपेक्षित फीस जमा (निक्षिप्त) करने के पश्चात् प्ररूप–4 में सामान्य प्रक्रिया द्वारा नवीकृत किया जाएगा। नवीकरण फीस सम्बद्ध स्थानीय प्राधिकरण या नगर विक्रय समिति द्वारा समय–समय पर निश्चित की जाएगी। जमा (निक्षिप्त) की गई फीस की रसीद से विक्रय प्रमाण–पत्र का नवीकरण सुनिश्चित होगा।

(2) नगर विक्रय समिति, उन व्यतिक्रमी पथ विक्रेताओं, जो विनिर्दिष्ट समय के भीतर विक्रय प्रमाण–पत्र का नवीकरण करने के लिए फीस जमा करने में असफल रहते हैं, की सूची प्रकाशित करेगी। नियत तारीख के पश्चात् उन पथ विक्रेताओं को, जो प्ररूप–5 में अपने विक्रय प्रमाण–पत्र को नवीकृत करने में

असफल रहते हैं, एक मास का नोटिस जारी किया जाएगा। नोटिस की अवधि के दौरान पथ विक्रेता, फीस के अतिरिक्त शास्ति के रूप में प्रतिदिन 20 / –रूपए (बीस रूपए) के संदाय के लिए दायी होगा।

(3) रजिस्ट्रीकृत पथ विक्रेता, जो खण्ड (2) के अधीन प्रथम नोटिस की तामील के पश्चात् भी अपना विक्रय प्रमाण–पत्र नवीकृत नहीं करवाता है तो उसे नगर विक्रय समिति द्वारा प्ररूप–5 मे एक और नोटिस तामिल किया जाएगा कि क्यों न उसका प्रमाण–पत्र रद्द या निलम्बित कर दिया जाए ।

12. प्रमाण–पत्र का रद्दकरण.––धारा 10 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अतिरिक्त यदि कोई पथ विक्रेता निम्नलिखित किसी शर्त का भंग करता है तो नगर विक्रय समिति को, उसे सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात्, प्रमाण–पत्र रद्द करने की शक्ति होगी :–

(i) विक्रय अनुज्ञप्ति के अनुसार आबंटित बाजार से बाहर विक्रय करता है / बैठता है / फेरी लगाता है;

(ii) विक्रय प्रमाण–पत्र प्राप्त करने की पात्रता के लिए (न्यूनतम 14 वर्ष की) आयु का दुर्व्यपदेशन करता है ;

(iii) विक्रय स्थान के आबंटन के मानदण्डों का उल्लंघन करता है। तथापि, आबंटित 5 x 7 वर्गफुट का अधिकतम क्षेत्र विक्रय के लिए आबंटित किया जाएगा ;

(iv) अनधिकृत रूप से विक्रय स्थल को बढ़ाता है ;

(v) किसी प्रकार की स्थायी संरचना का सन्निर्माण करता है ;

(vi) विक्रय स्थल को किसी अन्य को पट्टे पर देता है / भाड़े पर देता है / बेच देता है ;

(vii) विक्रय प्रमाण–पत्र को दिए गए अतिरिक्त समय के अवसान के पश्चात् भी नवीकरण कराने में असफल रहता है ;

(viii) चौदह वर्ष की आयु से कम के किसी बाल श्रमिक (श्रमिकों) को नियोजित करता है ; और

(ix) महिला विक्रेता या किसी अन्य व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार का दोषी पाया जाता है।

13. स्थायी विक्रेता बाजार ओर अस्थायी विक्रेताओं से अन्यथा पथ विक्रेता बाजारों के प्रवर्ग निम्न प्रकार से हैं :–

(i) प्राकृतिक बाजार ;
(ii) साप्ताहिक बाजार ;
(iii) परम्परागत बाजार ;
(iv) त्यौहारी बाजार ;
(v) रात्रि बाजार ;
(vi) फूड कोर्टस और
(vii) समय अनुषंगी बाजार ।

14. लोक प्रयोजन की दशा मे पथ विक्रेता को पुनःस्थापन (नए स्थान पर बसाना) करने की रीति.––जब लोक प्रयोजन से सम्बन्धित कोई प्रश्न उत्पन्न होता है तो उस पर नगर विक्रय समिति के परामर्श से निम्नलिखित बिन्दुओं के दृष्टिगत विनिश्चय किया जायेगा :–

(i) नगर विक्रय समिति की सिफारिश / सहमति अनिवार्य होगी ;

(ii) पथ विक्रेता को विक्रय के लिए उसी स्थान / क्षेत्र में व्यवस्थित किया जायेगा ;

(iii) सन्निर्माण/विकास के दौरान पथ विक्रेता (ओं) को नजदीक के स्थान पर अस्थायी रूप से व्यवस्थित किया जा सकेगा ;

(iv) विकास संकर्म के पूर्ण हो जाने के पश्चात विस्थापित पथ विक्रेता(ओं) को विक्रय के लिए उसके/उनके मूल स्थान में स्थान दिया जा सकेगा।

15. पथ विक्रेता को बेदखल करने की रीति.––उस दशा में जहाँ लोक रूकावट कारित की गई है या पथ विक्रेताओं के लिए एक समान आदर्श विक्रय स्थल चिन्हित किये जाने हेतु सर्वेक्षण प्रस्तावित है, तो ऐसी स्थिति में, पथ विक्रेताओं द्धारा अनधिकृत रूप से कब्जाए गए स्थान को इस शर्त के अध्यधीन खाली करवाया जाएगा कि नगर विक्रय समिति मामले को कम से कम छह मास पूर्व समिति के समक्ष विचार विमर्श हेतु रखेगी ।

16. पथ विक्रेता की बेदखली के लिए नोटिस दिए जाने कि रीति.––अधिनियम और स्कीम के उपबन्धों के अधीन बेदखली आदेश जारी करने से पूर्व पथ विक्रेता या स्थल के कब्जाधारी को एक मास का नोटिस दिया जाएगा और यदि वह अज्ञात है या खोजा नहीं जा सका है तो नोटिस को या तो नगर विक्रय समिति कार्यालय के नोटिस बोर्ड (सूचना पटट्) पर लगाया जाएगा या प्ररूप–6 में विक्रय स्थल के किसी सहज दृश्य भाग पर चिपकाया जाएगा ।

17. पथ विक्रेता की वस्तुगत बेदखली की रीति.––(1) एक मास की नोटिस अवधी के पूर्ण हो जाने पर पथ विक्रेता शास्ती से, जो प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसा व्यतिक्रम जारी रहता है, दो सौ पचास रूपये तक की हो सकेगी, दण्डनीय होगा और जो अभिगृहित किये गए माल की कीमत से अधिक नहीं होगी।

(2) यदि पथ विक्रेता नियत अवधि के भीतर कब्जा किये गए विक्रय स्थल को खाली करने में असफल रहता है तो स्थानीय प्राधिकारी या स्थानीय प्राधिकरण द्धारा इस निमित प्राधिकृत कोई, यथास्थिति, व्यक्ति/अधिकारी, पथ विक्रेता/व्यक्ति को वस्तुतः बेदखल करने हेतु पुलिस सहायता ले सकेगा और यदि आवश्यक हो तो विक्रय स्थल/स्थान से विनश्वर/अनश्वर सहित समस्त माल को जब्त करेगा ।

18. स्थानीय प्राधिकरण द्वारा माल का अभिग्रहण.––माल के अभिग्रहण के पश्चात स्थानीय प्राधिकरण या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा इस निमित प्राधिकृत व्यक्ति/अधिकारी खाली कराए गए स्थल/स्थान पर उपलब्ध किन्ही दो साक्षियों की उपस्थिति में उस द्वारा सम्यक रूप से हस्ताक्षरित माल की सूची प्ररूप–7 मे तैयार करेगा ।

19. पथ विक्रेताओं द्वारा अभिगृहित माल की पुनः प्राप्ति और उसके लिए प्रभार.––(1) स्थानीय प्राधिकरण या प्राधिकृत व्यक्ति/अधिकारी द्वारा अभिगृहीत माल को अधिनियम और स्कीम के उपबन्दों के अधीन पथ विक्रेताओं को उसके लिखित आवेदन पर विनश्वर माल की दशा में उसी दिन, और अनश्वर माल की दशा में, दो कार्यशील दिनों के भीतर केवल ₹ 500/= (पाँच सौ रूपए) की फीस के संदाय पर तथा विहित समय सीमा के पश्चात अभीगृहीत माल को पुनः प्राप्त करने के लिए केवल ₹ 100/– (सौ रुपए) प्रतिदिन के संदाय पर छोड़ दिया जाएगा।

(2) यदि पथ विक्रेता अभिगृहीत माल को वापिस लेने का दावा नहीं करता है तो नगर विक्रय समिति या स्थानीय प्राधिकारण का अधिकृत व्यक्ति/अधिकारी तत्काल तद्द्वारा पथ विक्रेता को प्ररूप–8 में लिखित में नोटिस देगा और नोटिस में दी गई समय सीमा, जो नोटिस की तामील की तारीख से दो दिन से कम की नहीं हो सकेगी, के अवसान के पश्चात् ऐसे माल को बेच देगा या विनश्वर माल की दशा में, यदि उपयोग में लाने योग्य न हो, उसे नष्ट कर देगा ।

(3) स्थानीय प्राधिकरण या स्थानीय प्राधिकरण द्धारा इस निमित प्राधिकृत किसी व्यक्ति/अधिकारी द्धारा अभीगृहीत किसी माल को पथ विक्रेता को तब तक नहीं लौटाया जाएगा जब तक वह ऐसे माल को हटाने या भण्डारण के लिए अनिवार्य प्रभारों को जमा करने के पश्चात उसका दावा नहीं करता और यदि वह ऐसा करने में असफल रहता है तो उसे प्ररूप–9 में ऐसी वस्तुओं के ब्यौरे तैयार करने के पश्चात सार्वजनिक

नीलामी द्वारा या ऐसी अन्य रीति में बिक्रित कर दिया जाएगा । अनिवार्य प्रभार स्थानीय प्राधिकरण / नगर विक्रय समिति द्वारा समय–समय पर विनिश्चित किये जायेंगे।

(4) अधिनियम और इस स्कीम के उपबन्धों के अधीन बिक्रित माल को हटाए जाने और भण्डारण के लिए प्रभार, विक्रय के आगमों में से संदत किये जाएंगे और अतिशेष, यदि कोई है, को पथ विक्रेता / बिक्रित माल के स्वामी को, विक्रय की तारीख से दो मास की अवधि के भीतर किये गए दावे पर, संदत किया जाएगा, और यदि उक्त अवधि के भीतर ऐसा कोई दावा नहीं किया जाता है तो इसे, यथास्थिति, स्थानीय प्राधिकरण या नगर विक्रय समिति की निधियों में जमा कर दिया जाएगा ।

20. नगर विक्रय समति के क्रियाकलापों की सामाजिक संपरीक्षा कार्यान्वित करने का प्ररूप और रीति.––

(1) नगर विक्रय समिति, अधिनियम या स्कीम के उपबंधों के अनुपालन के लिए अपेक्षित इसकी गतिविधियों की सामाजिक संपरीक्षा क्रियान्वित करने के प्रयोजन के लिए एक तीन सदस्यीय इकाई का गठन करेगी ।

(2) सामाजिक संपरीक्षा इकाई एक स्वतन्त्र निकाय होगी और निम्नलिखित से गठित होगी,–

(*i*) सामाजिक शास्त्र के क्षेत्र में एक प्रख्यात शिक्षाविद् ;

(*ii*) एक प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता ; और

(*iii*) एक सेवानिवृत प्रशासक ।

(3) स्थानीय प्राधिकरण द्वारा सामाजिक संपरीक्षा इकाई को कार्यालय स्थान और उपस्करों सहित पर्याप्त सहायक अनुसचिवीय कर्मचारीवृन्द उपलब्ध करवाया जाएगा ।

(4) सामाजिक संपरीक्षा तीन वर्षों में कम से कम एक बार करवाई जाएगा। सामाजिक संपरीक्षा आयोजित करने के लिए समय सारिणी कम से कम तीन मास पहले (अग्रिम में) विनिश्चित की जाएगी ।

(5) नगर विक्रय समिति संपरीक्षा इकाई को, सामाजिक संपरीक्षा प्रक्रिया के आरम्भ होने से कम से कम पंद्रह दिन पूर्व सुसंगत सूचना के ब्यौरे उपलब्ध कराएगी। ऐसे ब्यौरों में निम्नलिखित, सम्मीलित होगा,–

(*i*) पथ विक्रेताओं के लिए अधिनियम, नियम और स्कीम के कार्यान्यन की प्रास्थिति ;

(*ii*) नगर विक्रय समिति की उन वर्षों में की गई बैठकों के कार्यवृतों का अभिलेख ;

(*iii*) समस्त रजिस्ट्रीकृत पथ विक्रेताओं का अभिलेख ;

(*iv*) अधिनियम की धारा 11 के अधीन स्थानीय प्राधिकरण के समक्ष की गई अपीलों का अभिलेख;

(*v*) अधिनियम की धारा 20 के अधीन गठित शिकायत निवारण समिति के समक्ष समस्त शिकायतों और विवादों का अभिलेख ;

(*vi*) उन वर्षों में की गई बेदखली, माल के अधिहरण (जब्ती) और पथ विक्रताओं की पुनःस्थापन की कुल संख्या का अभिलेख ; और

(*vii*) पूर्ववर्ती की गई सामाजिक संपरीक्षा रिपोर्टों, यदि कोई हों, के अभिलेख ।

21. सामाजिक संपरीक्षा इकाई की बैठक और कार्य.—(1) सामाजिक संपरीक्षा इकाई पथ विक्रताओं के साथ अधिनयम, नियमों और स्कीम के कार्यान्वयन के विभिन्न पहलुओं पर बैठकें आयोजित करेगी और सामूहिक विचार विमर्श पर बल देगी ।

(2) संपरीक्षा इकाई पथ विक्रताओं के किसी विवाधक पर या उनके समक्ष पेश आ रही समस्या की शिकायतों को लिखित में अभिलिखित करेगी ।

(3) सामाजिक संपरीक्षा प्रक्रिया के समाप्त होने पर इकाई अपने निष्कर्ष को लिखित में अभिलिखित करेगी।

(4) संपरीक्षा इकाई, नगर विक्रय समिति के कार्यालय में एक सामाजिक संपरीक्षा जनसाधारण बैठक का आयोजन करेगी । समिति के सदस्य और स्थानीय प्राधिकरण के प्रतिनीधि बैठक में भाग लेंगे। संपरीक्षा इकाई बैठक में इसके निष्कर्षों को पढ़ेगी। पथ विक्रताओं को भी प्रमाण प्रस्तुत करने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा और नगर विक्रय समिति, सामाजिक संपरीक्षा में चिन्हित प्रत्येक विवाधक को प्रभावित पक्ष और जनसाधारण को इस बात का स्पष्टीकरण और व्याख्यान देकर सुलझाएगी की कतिपय करवाई क्यों की गई या क्यों नहीं की गई ।

(5) संपरीक्षा इकाई, सामाजिक संपरीक्षा जन साधारण बैठक का पर्याप्त अग्रिम सार्वजनिक नोटिस देगी ।

(6) स्थानीय प्राधिकरण अन्तरों, त्रुटियों या विचलन की दशा में सामाजिक संपरीक्षा इकाई के प्रत्येक निष्कर्ष पर उत्तरदायित्व नियत करेगा और तत्काल सुधारात्मक उपाय करेगा या अनुशासनात्मक करवाई करेगा। किसी विवाद की दशा में स्थानीय प्राधिकरण (अथॉरिटी) द्वारा प्रशासनिक जाँच की जा सकेगी और यथासम्भव अल्पमत समय के भीतर, किन्तु किसी भी दशा में एक मास के अपश्चात् नहीं, तदनुसार करवाई की जा सकेगी ।

(7) सामाजिक संपरीक्षा आयोजित करने की कानूनी अपेक्षा, लेखों की सामान्य संपरीक्षा कार्यान्वित करने की किसी स्वतंत्र पहल को वंचित नहीं करेगी ।

(8) इस प्रक्रिया में प्रस्तुत की गई सामाजिक संपरीक्षा रिपोर्ट अभिलेख का एक भाग होगी और नगर विक्रय समिति द्वारा प्रतिक्रियात्मक होगी। जहां कमियों पाई जाती है वहां इस स्कीम के अनुसार तत्काल करवाई की जाएगी । कृत करवाई रिपोर्ट अभिलेख का भाग होगी ।

(9) सामाजिक संपरीक्षा आयोजित करवाने का व्यय नगर विक्रय समिति की बजटीय व्यवस्था में से उपगत होगा।

22. प्राइवेट स्थान (स्थल) को प्रतिबन्ध मुक्त विक्रय जोन, प्रतिबन्धित–विक्रय जोन और अविक्रय जोन के रूप में पुनः नामित करने के लिए शर्तें.——(1) इसे नगर विक्रय समिति द्वारा, वार्ड / क्षेत्र के पथ विक्रेताओं की कुल जनसंख्या के ढाई प्रतिशत के अनुसार निर्धारित किया जाएगा ।

(2) यदि आवेदकों की संख्या विक्रय क्षेत्रों में उपलब्ध स्थलों की संख्या से अधिक हो जाती है तो नगर विक्रय समिति, बाकी बचे आवेदकों को आवसार्रित करने हेतु सम्बद्ध स्वामी की सहमति से निजी स्थानों को प्रतिबन्ध रहित विक्रय क्षेत्रों के रूप में पुनः पदनामित करने हेतु, अधिनियम और इस स्कीम में विनिर्दिष्ट शर्तों के अनुसार कदम उठा सकेगी।

23. जनस्वास्थ्य और स्वच्छता के लिए मानदण्ड.——(1) स्थानीय प्राधिकरण पथ विक्रेताओं को स्वच्छ वातावरण बनाए रखने के आशय से अपनी अपशिष्ट सामग्री के निपटारे के लिए समुचित स्थान उपलब्ध करवाएगी।

(2) पथ विक्रेता नगरपालिका या नगरपालिका की ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन प्रणाली द्वारा नियत अपशिष्ट निपटान मानदण्डों के अनुसार अपशिष्ट सामग्री के निपटान के लिए समुचित ढकी हुई कचरा पेटी (डस्ट–विनज) का उपयोग करेगा / करेंगे। पथ विक्रेता ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन (एस डब्लू एम) के लिए नगरपालिका द्वारा मानदण्डों के अनुसार नियत स्वच्छता प्रभारों का संदाय भी करेगा / करेंगे।

(3) स्थानीय प्राधिकरण, जहां कहीं सम्भव हो, पथ विक्रेताओं को विद्युत / पथ–प्रकाश (स्ट्रीट लाइटस) की प्रसुविधा के साथ–साथ स्वच्छ और ताजा पानी सुनिश्चित और उपलब्ध करवाएगी।

(4) स्थानीय प्राधिकरण जनस्वास्थ्य और स्वच्छता बनाए रखने के आशय से पर्याप्त जल और विद्युत सहित शौचालय की व्यवस्था करेगा।

(5) स्थानीय प्राधिकरण द्वारा समुचित संख्या में अपशिष्ट सामग्री के निपटान के लिए कचरा पेटियों (डस्ट–विनज) की व्यवस्था की जाएगी।

(6) नगर विक्रय समिति पथ विक्रेताओं के लिए सामूहिक बीमा स्कीम प्रारम्भ कर सकेगी।

24. राज्य नोडल अधिकारी का पदनाम.––(1) राज्य नोडल अधिकारी, शहरी विकास निदेशालय के अतिरिक्त / संयुक्त निदेशक, की पंक्ति से नीचे का नहीं होगा।

(2) राज्य नोडल अधिकारी पथ विक्रेताओं की प्रास्थिति बनाए रखने के आशय से स्थानीय प्राधिकरण के साथ कम से कम एक अर्धवार्षिक बैठक करेगा।

25. पथ विक्रेताओं के सम्बन्ध में नगर विक्रय समिति, स्थानीय प्राधिकरण, योजना प्राधिकरण और राज्य नोडल अधिकारी द्वारा समुचित अभिलेखों और अन्य दस्तावेजों के अनुरक्षण की रीति.––(1) पथ विक्रेताओं के अभिलेख के अनुरक्षण के लिए शहरी विकास विभाग द्वारा एक ऑन लाईन साफ्टवेयर विकसित किया जा सकेगा।

(2) नगरपालिका प्राधिकरण ऑन–लाईन प्रक्रिया के माध्यम से सर्वेक्षित पथ विक्रेताओं का डाटा दर्ज करेगा।

(3) विक्रय प्रमाण–पत्र और पहचान पत्र को ऑन–लाईन बनाया जा सकेगा।

(4) स्थानीय प्राधिकरण की वैबसाइट पर विक्रय जोनज और पथ विक्रेताओं को प्रदर्शित किया जाएगा।

26. काल सहभाजन (शेयरिंग) आधार पर विक्रय कार्यकलाप चलाए जाने की रीति.––नगर विक्रय समिति, बाजार की आवश्यकताओं और पथ विक्रेताओं के स्थलों पर निर्भर रहते हुए काल सहभाजन आधार पर विक्रय कार्यकलापों का अवधारण करेगी। किसी महिला विक्रेता से काल सहभाजन विक्रय कार्यकलापों का आबंटन करते समय विभेद नहीं किया जाएगा।

27. निर्बन्धन मुक्त विक्रय जोनों, निर्बन्धित विक्रय जोनों और अविक्रय जोनों के रूप में विक्रय जोनों का अवधारण.––(1) नगर विक्रय समिति विशिष्ट गली या बाजार के अनुसार विक्रय स्थल के आबंटन का विनिश्चय करेगी। नगर विक्रय समितियां, अपने–अपने शहर / नगर के फेरी वालों / पथ विक्रेताओं के लिए योजनाओं को हितकर और पर्याप्त बनाने हेतु शहरों / नगरों में निर्बन्धन, अर्थात् निर्बन्धन मुक्त विक्रय जोनों, निर्बन्धित विक्रय जोनों और अविक्रय जोनों के सीमांकन को सुकर बनाने के लिए पग उठाएगी।

(2) स्थानीय प्राधिकरण / नगर विक्रय समिति विक्रेताओं (स्थायी और अस्थायी) की संख्या के लिए ऐसे प्राकृतिक बाजारों की लोकेशनज में, ले आउट प्लानज में ''पथ विक्रेता बाजार'' के रूप में अभिहित, पर्याप्त स्थान की व्यवस्था करेगा / करेगी जो उनकी सामग्री / मॉग को पूरा कर सके। यदि ऐसी लोकेशन के

लिए प्रार्थियों (उम्मीदवारों) की संख्या उपलब्ध स्थान से अधिक है तो ऐसे आधिक्य (प्रार्थियों/उम्मीदवारों) को अधीन फीस या लाटरी द्वारा और खण्ड 8 के अधीन विहित रीति में विनियमित किया जाएगा और न कि वैवेकिक अनुज्ञप्तियों के द्वारा।

(3) अस्थायी विक्रेताओं को अभिहित ''पथ विक्रेताओं के बाजार'' से बाहर भी अनुज्ञात किया जा सकेगा जब तक कि उसे अविक्रय जोन अभिहित न किया गया हो। अविक्रय जोन (जोनज) अवस्थिति और अवसर के अनुसार अधिसूचित किए जा सकते हैं। शहरों/नगरों के विकास के साथ–साथ प्रत्येक नए क्षेत्र में, पथ विक्रेताओं के लिए पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए।

28. विक्रय जोनों की क्षमता और व्यापक जनगणना और सर्वेक्षण करने की रीति.––अधिनियम की धारा 3 के अधीन, वार्ड/जोन के पथ विक्रेताओं की संख्या का अढ़ाई प्रतिशत धारण क्षमता के अनुसार समायोजित किया जाएगा। किसी विक्रय जोन की धारण क्षमता विक्रय जोन के कुल क्षेत्र द्वारा विभाजित विक्रय स्थल के अनुसार होगी।

29. पुनःस्थापन (नए स्थान पर बसाना) के मानदण्ड.––पुनःस्थापन के लिए निम्नलिखित मानदण्ड होंगेः–

(*i*) जहां तक सम्भव हो पुनःस्थापन से बचना चाहिए जब तक कि प्रश्नगत भूमि के लिए स्पष्ट और अत्यावश्यक अपेक्षा न हो ;

(i) परिसम्पत्तियों की किसी भी प्रकार की हानि से बचना होगा और हानि की दशा में इसकी क्षतिपूर्ति की जाएगी ;

(*iii*) प्रभावित विक्रेताओं या उनके प्रतिनिधियों को परियोजना और पुनर्व्यवस्थापन के कार्यान्वयन में शामिल करना होगा ;

(*iv*) नगर विक्रय समिति बाजार के प्रतिनिधियों को बातचीत में शामिल करेगी ;

(*v*) पुनर्व्यवस्थापन परियोजना के कार्यान्वर्यन के अधीन परस्पर स्वीकार्य स्थल के लिए विचार किया जाना चाहिए ;

(*vi*) प्रभावित विक्रेताओं को उनकी जीविका और जीवन के स्तर को बेहतर बनाने के लिए वस्तुतः कम से कम बेदखली से पूर्व के स्तर पर लाने के लिए पुनःस्थापित किया जाएगा ।

(*vii*) नई अवसंरचना विकास परियोजनाओं द्वारा सृजित जीविका के अवसर से पात्र विस्थापित विक्रेता समायोजित किए जांएगे;

(*viii*) भूमि में हक या अन्य हित का कोई अन्तरण, ऐसी भूमि पर पथ विक्रेताओं की जीविका को प्रभावित नहीं करेगा और ऐसे किए गए किसी अन्तरण के परिणामस्वरूप कोई पुनःस्थापन अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार किया जाएगा ;

(*ix*) राज्य तन्त्र, बलपूर्वक की गई बेदखली की प्रक्रियाओं की जांच और नियन्त्रण के लिए व्यापक उपाय करेगा ; और

(*x*) उन प्राकृतिक बाजारों को परम्परागत बाजार घोषित किया जाऐगा जहां पर पथ विक्रेताओं ने पचास से अधिक वर्षों से कारबार संचालित कर लिया है, और ऐसे बाजारों में पथ विक्रेताओं को पुनःस्थापित नहीं किया जाएगा :

परन्तु स्थानीय प्राधिकरण ऐसे बाजारों की सूची तैयार कर सकेगा और उन्हें ''परम्परागत बाजार'' घोषित करेगा। नगरपालिका निकाय, पर्यटन विभाग के सहयोग से ऐसे बाजारों को ''पर्यटन बाजारों'' के रूप में बढ़ावा देगें।

प्ररूप–1

(खण्ड 4 देखें)

पथ विक्रेता का प्रमाण–पत्र

विक्रेता का उसके / उसकी पति या पत्नी या आश्रित बालक के साथ फोटोग्राफ

विशिष्ट रजिस्ट्रीकरण संख्या.....

राज्य का नाम .....

नगरपालिका का नाम.....

विक्रय जोन का नाम.....

विक्रय स्थल का नाम.....

विक्रय का प्रवर्ग (चाहे अस्थायी / स्थायी / प्राकृतिक / साप्ताहिक आदि हो).....
.....

विक्रेता के साथ विक्रय करने में यदि उसका / उसकी पति या पत्नी या उसका आश्रित बालक अन्तर्वलित है तो उसका नाम.....

व्यक्ति (व्यक्तियों) की आयु और लिंग जिसका / जिनका फोटो है, यहां चिपकाएं.....
.....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री..... जो आयु....., आवासीय पता.....
....., प्रवर्ग ....., का पति या पिता है यथा ..... (नगरपालिका का नाम) का रजिस्ट्रीकृत पथ विक्रेता है जैसा खण्ड 6 के अधीन उपबन्धित है।

(हस्ताक्षर)

जारी करने की तारीखः.....

.....तक विधिमान्य।

टिप्पण :– विक्रेता प्रत्येक पाँच वर्ष के पश्चात् विक्रय प्रमाण–पत्र का नवीकरण करवाएगा।

————————

प्ररूप–2

(खण्ड 5 (अ) देखें)

पथ विक्रेता द्वारा वचनबंध–पत्र के लिए आरूप

मैं , ... पत्नी / पुत्र / पुत्री श्री ..... नगर विक्रय समिति..... का रजिस्ट्रीकरण / विक्रय प्रमाण–पत्र, संख्याः....., धारक एतद्द्वारा

घोषणा करता हूं कि मुझे प्रदत्त विक्रय प्रमाण–पत्र को किसी अन्य व्यक्ति को पट्टे पर, नहीं दिया जाएगा, भाड़े पर नहीं दिया जाएगा या विक्रीत नहीं किया जाएगा।

मैं, यह भी घोषणा करता / करती हूं कि मैं किसी अन्य कारबार में नहीं लगा हूं। न ही किसी अन्य विक्रय स्थल से विक्रय कर रहा हूं । और न ही किसी संगठन के साथ नियोजित हूं।

विक्रेता का नाम और हस्ताक्षर .....

रजिस्ट्रीकरण / विक्रय प्रमाण–पत्र संख्याः .....

तारीखः

स्थानः

(विक्रेता के हस्ताक्षर)

————————

प्ररूप–3

(खण्ड 6 देखें)

पहचान पत्र

नगरपालिका का नाम	
विशिष्ट रजिस्ट्रीकरण संख्या.....	पिता / पति का नाम .....
विक्रेता की फोटो चिपकाएं	विक्रय का प्रवर्ग.....
	नगरपालिका वार्ड / विक्रय जोन.....
	विक्रय स्थल का, पता / अवस्थिति.....
	आवासीय पता.....
	पुलिस थाना.....
नाम.....	हस्ताक्षर.....
आयु.....	
लिंग.....	
दूरभाष नम्बर	
जारी करने की तारीख.....	सम्बद्ध शहरी स्थानीय निकाय का आयुक्त / कार्यकारी अधिकारी / सचिव ....

प्ररूप–4

(खण्ड 11 (1) देखें)

पथ विक्रता प्रमाण–पत्र के नवीकरण हेतु आवेदन

(इस प्ररूप को स्पष्ट अक्षरों में भरा जाना है)

आवदेक का नाम.....

(उपनाम पहले)

पिता का नाम .....

विशिष्ट रजिस्ट्रीकरण संख्या.....

आवासीय पता.....

डाक पता.....

मैं निम्नानुसार, अपने पथ विक्रेता प्रमाण–पत्र के नवीकरण हेतु आवेदन करना चाहता / चाहती हूँ:

(1) अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र–
.....
.....

(2) माल की निम्नलिखित श्रेणी का व्यापार कर रहा / रही हूँ.....
.....
.....

तारीखः.....

आवेदक के हस्ताक्षर.....

केवल कार्यालय प्रयोग हेतु
तारीख, जिसको आवेदन प्राप्त किया गया.....

आवेदन के अनुमोदन / अस्वीकार करने की तारीख.....

अधिकारी के, मुहर सहित, हस्ताक्षर।

————————

प्ररूप–5

(खण्ड 11 (2) और (3) देखें)

पथ विक्रेता के प्रमाण–पत्र के नवीकरण के लिए नोटिस

विक्रेता का नाम .....

पिता का नाम .....

विशिष्ट रजिस्ट्रीकरण संख्याः .....

विक्रय स्थल की अवस्थिति .....

आवासीय पता .....

पहले जारी किए गए नोटिस की .....

तारीख

पत्राचार हेतु पताः .....

नवीकरण न कराने के कारण .....

तारीख अधिकारी के, मुहर सहित, हस्ताक्षर।

महत्वपूर्ण अनुदेशः

(1) पथ विक्रेता को विक्रय प्रमाण–पत्र के नवीकरण हेतु एक मास के नोटिस की तामील करवाई जाएगी ।

(2) एक मास का नोटिस देने के पश्चात् यदि वह विक्रय प्रमाण–पत्र नवीकृत करने में असफल रहता है तो उसे नगर विक्रय समिति द्वारा एक और नोटिस तामील किया जाएगा कि क्यों न उसका प्रमाण–पत्र रद्द या निलम्बित कर दिया जाए ।

————————

प्ररूप–6

(खण्ड 16 देखें)

पथ विक्रेता की बेदखली का नोटिस

विक्रेता का नाम .....
(उपनाम पहले)

पिता का नाम .....

विशिष्ट रजिस्ट्रीकरण संख्याः .....

विक्रय स्थल की अवस्थिति .....

आवासीय पता .....

डाक पता .....

बेदखली के कारण .....

तारीख अधिकारी के, मुहर सहित, हस्ताक्षर।

महत्वपूर्ण अनुदेशः

(1) पथ विक्रेता या स्थल के अधिभोगी को एक मास के नोटिस की तामील करवाई जाएगी।

(2) यदि वह अज्ञात व्यक्ति है तो नोटिस को नगर विक्रय समिति के सूचना पट पर प्रदर्शित किया जाएगा।

(3) एक मास के नोटिस की तामील करने के पश्चात् भी यदि वह विक्रय स्थल को खाली करने में असफल रहता है तो वह प्रतिदिन के लिए दो सौ पचास रूपए तक की शास्ति से दण्डनीय होगा।

(4) जहां नोटिस और जुर्माना अधिरोपित करने पर भी ऐसा अननुपालन जारी रहता है तो, यथास्थिति, नगर विक्रय समिति या प्राधिकृत अधिकारी पथ विक्रेता को हटाने के लिए पुलिस की सहायता ले सकेगा।

प्ररूप–7

(खण्ड 18 देखें)

अभिगृहीत (जब्त) माल की सूची

1. व्यक्ति का नाम और पता जिससे माल अभिगृहीत किया गया है.....
.....

2. विशिष्ट रजिस्ट्रीकरण संख्या .....

3. तारीख और समय सहित अभिग्रहण का स्थान .....
.....

4. अभिगृहीत माल के ब्यौरे .....

   (क) प्रत्येक माल का विवरण.....

5. उस व्यक्ति का नाम और पता जिसकी अभिरक्षा में अभिगृहीत सम्पत्ति (माल) रखी गई है.....
.....

6. अभिरक्षक के हस्ताक्षर .....

7. अभिगृहीत माल की लगभग कीमत .....

8. टिप्पणियां.....
.....

9. हस्ताक्षर सहित साक्षियों के नाम और उनका पताः

   (1) .....
   .....

   (2) .....
   .....

तारीख :

माल अभिगृहीत करने वाले
अधिकारी / कर्मचारी के पूरे नाम सहित
हस्ताक्षर
पदनाम और पता

———————

प्ररूप–8

(खण्ड 19 (2) देखें)

अभिगृहीत (जब्त) माल की पुनः प्राप्ति के लिए नोटिस

1. उस व्यक्ति का नाम और पता जिससे माल अभिगृहीत किया गया है.....
.....

2. अभिगृहीत माल के लिए दूसरे दावेदार का नाम और पता.....
.....

3. उस व्यक्ति का नाम और पता जिसकी अभिरक्षा में अभिगृहीत सम्पत्ति रखी गई है .....
.....

4 तारीख और समय सहित अभिग्रहण का स्थान .....
.....

5. अभिगृहीत माल के ब्यौरे.....

6. अभिगृहीत माल की लगभग कीमत .....
.....

7. टिप्पणियां.....

तारीखः

माल अभिगृहीत करने वाले
अधिकारी / कर्मचारी के पूरे नाम सहित
हस्ताक्षर
पदनाम और पता

———————

प्ररूप–9

(खण्ड 19 (3) देखें)

नीलामी के लिए रखी गई वस्तुओं का ब्यौरा

1. उस व्यक्ति का नाम और पता जिससे वस्तुएं अभिगृहीत की गई हैं.....
.....

2. अभिरक्षक का नाम.....

3. नीलामी की तारीख और स्थान.....
.....

4. वस्तुओं / माल के ब्यौरे.....

5. लगभग कीमत .....

6. नीलामी की रकम.....

7. वस्तुओं / माल के अभिग्रहण के विरूद्ध समायोजित व्यय की रकम.....

8. प्रतिदेय रकम.....

9 साक्षीः .....

1.....
2.....

अधिकारी के, मुहर सहित,
हस्ताक्षर
पदनाम ओर पता

आदेश द्वारा,
मनीषा नंदा,
अतिरिक्त मुख्य सचिव (शहरी विकास)।

[Authoritative English text of this Department Notification No. UD-A(3)-13/2015 Dated 23/02/2017 as required under clause (3) of article 348 of the constitution of India.]

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, *the* 23rd *February,* 2017

No. UD-A(3)-13/2015.—WHEREAS, the Governor of Himachal Pradesh is of the opinion that for the purpose of providing an opportunity to the street vendors to earn livelihood, it is expedient and necessary that a scheme be framed in terms of section 38 of the Street Vendors (Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) Act, 2014 (Act No. 7 of 2014), Keeping in view the overall interest of this important section of society;

NOW,THEREFORE, in exercise of the powers conferred by section 38 of the Street vendors (Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) Act, 2014 (Act No. 7 of 2014), the Governor, Himachal Pradesh, is pleased to frame the following Scheme, namely:-

1. Short title and commencement.—(1) This Scheme may be called the Himachal Pradesh Street Vendors (Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) Scheme, 2016.

(2) It shall come into force from the date of its Publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. Definition.—(1) In this Scheme, unless the context otherwise requires,—

(*a*) "Act" means the Street Vendors (Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) Act , 2014 (Act No. 7 of 2014);

(*b*) "Certificate" means a certificate to be granted by the authority to a particular person to run business as per provisions of the Act;

(*c*) "Fees" means fee chargeable from the street vendor in lieu of services provided by the local authority ;

(*d*) "Form" means Form appended to this Scheme ; and

(*e*) "section" means the section of the Act.

(2) All other words and expression used in this Scheme but not defined herein shall have the same meanings respectively as assigned to them in the Act.

3. The manner of conducting survey.—(1) The Town Vending Committee of the concerned Urban Local Body such as Municipal Corporation or Municipal Council or Nagar Panchayat, as the case may be, shall conduct the survey after engaging expert agency having experience of conducting survey to identify street vendors on the spot by spot verification. The whole process for conducting the survey and issuance of vending certificate shall be completed within maximum time period of one year and subsequent surveys shall be conducted after every five years. The methods which shall be used for survey are,—

(*i*) Geographic Information System (GIS) mapping ;

(*ii*) Digitalized photo census;

(*iii*) Bio-metric alongwith photo Identity Cards;

(*iv*) The timing for survey shall be morning time from 7AM to 10 AM, afternoon time from 2 PM to 5 PM and evening time from 6 PM to 9 PM; and

(*v*) Holding camps by the team constituted in this behalf in the market for awareness of street vendors in vending zone/ areas.

(2) The Urban Local Body shall notify in local dailies, the notice of commencement of on the spot survey of the Street Vendors. The notice shall inter-alia specify,-

(*a*) Camps, market/ area-wise, date and time of survey;

(*b*) Nodal Officer of the area from Urban Local Bodies; and

(*c*) Date and time upto which the applications for registration of the Street Vendors shall be entertained.

4. Issuance of certificate.—The street vendor identified in the survey shall be issued certificate by the Town Vending Committee within a maximum period of three months from the date of survey in Form-1.

5. The term and conditions for issuance of certificate.—The street vendors including those persons who wish to carry on street vending during the intervening period of two surveys may be issued certificate of vending subject to the following terms and conditions,-

(*i*) he should not have any other means of livelihood except for street vending ;

(*ii*) he should not have any parallel vending site in any other place occupied by the same person;

(*iii*) he shall carry on the vending by himself or through family members ;

(*iv*) he should have completed the age of 14 years at the time of conducting survey or making application ;

(*v*) the certificate of vending shall not be transferred/leased/rented or sold to other in any manner. An undertaking to this effect shall be submitted by the street vendor to the Town Vending Committee in Form -2.

(*vi*) the certificate of vending shall have a photograph of the person carrying on vending activity and in case of spouse or dependent involved in vending at vending site, in such situation the said person shall be covered in that photograph ;

(*vii*) new street vendors, who wish to carry on street vending during the intervening period of two surveys, shall apply through Municipal Corporation or Municipal Council or Nagar Panchayat as the case may be, for the vending certificate ; and

(*viii*) identification of new sites, acceptance of application from new vendors as well as allotment to new applicants by Municipal Corporation or Municipal Council or Nagar Panchayat, as the case may be, shall be a continuous process rather than one time exercise.

6. The form and manner of issuing identity card.—The concerned Local Authority shall issue identity card in Form-3.

7. Criteria for issuing certificate of vending.—Every Local Authority/ Town Vending Committee shall give preference while allotting vending place, to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Women , persons with disabilities, unemployed, educated youth, handicapped person/senior citizens, single women, women headed household, self help groups of women entrepreneurs, minorities, etc. in the following order.-

(*i*) Scheduled Castes	5%
(*ii*) Scheduled Tribes	2%
(*iii*) Other Backward Classes	3%
(*iv*) Unemployed/Educated youth.	5%
(*v*) Handicapped person/senior citizens	2%
(*vi*) Single Women/women headed house hold	2%
(*vii*) Self Help Groups of Women entrepreneurs.	3%
(*viii*) Minorities	2%

Note:—In the case of allotment of vending place to reserved categories one family shall be allotted one vending place only in the State of Himachal Pradesh.

8. Fee for vending.—The vending fee shall be chargeable according to the category of the street vendor and the location of the market. The fees for Stationary Vendor shall be minimum Rs. 500/- (Rupees five hundred only) and maximum Rs. 1200/- (Rupees one thousand two hundred only) per month to the general category and for reserve category same shall be charged between Rs. 400/- (Rupees four hundred only) to Rs. 1000/- (Rupees one thousand only) per month. The fees for Mobile Vendors shall be minimum Rs. 300/- (Rupees three hundred only) and maximum Rs. 900/- (Rupees nine hundred only) per month to the General Category and for Reserve Category same shall be charged between Rs. 200/- (Rupees two hundred only) to Rs. 800/- (Rupees eight hundred only) per month. The fees for other category of vendors such as weekly, time sharing, etc. shall be minimum Rs. 100/- (Rupees one hundred only) and maximum Rs. 600/- (Rupees six hundred only).

9. Payment of necessary charges.—The vending fee, maintenance charges, fee for renewal of certificate of vending and penalties for registration after due date and other charges shall be collected through Nationalized Banks and counters of local authority and Town Vending Committee, as the case may be. Every Town Vending Committee will have a bank account. An annual audit of the account shall be carried out by the Town Vending Committee. Municipal Corporation, Municipal Council and Nagar Panchayat shall make an endeavor to device innovative methods (in partnership with banks) for fee collection to facilitate street vendors:

Provided that except vending fee, other charges shall be decided by the Town Vending Committee from time to time.

10. The period of validity of certificate of vending.—The vending certificate shall be valid for a period of five years from the date of issue.

11. Renewal of certificate of vending.—(1) Before completion of five years, the vending certificate shall be renewed by way of simple process after depositing the requisite fee in Form-4. The renewal fee shall be decided by the concerned Local Authority or Town Vending Committee from time to time.The receipt of fee deposited shall ensure renewal of certificate of vending.

(2) The Town Vending Committee shall publish a list of defaulter street vendors who have failed to deposit the fees for renewal of vending certificate within specified time. After due date, one month notice shall be issued to those street vender who fails to renew their vending certificate in Form-5. During the notice period, the street vender shall be liable to pay Rs. 20/-(Rupees twenty only) per day as penalty in addition to fee.

(3) The registered street vendor who has not got his vending certificate renewed even after service of first notice under clause (2), he shall be served another notice by the Town Vending Committee in Form -5, as to why his vending certificate should not be suspended or cancelled.

12. Cancellation of certificate.—In addition to the provisions contained under section 10, if a street vendor commits breach of any of the conditions given below, the Town Vending Committee shall have the power to cancel the certificate after giving him opportunity of being heard :-

(*i*) Carries out vending/squatting/hawking outside the market allotted according to the vending license;

(*ii*) Misrepresents the age (minimum age is 14 years) for eligibility to get vending certificate;

(*iii*) Violates norms of allotment of vending space. However, the maximum area of 5x7 sq.ft shall be allotted for vending ;

(*iv*) Extends the vending space unauthorizedly ;

(*v*) Constructs any kind of permanent structure;

(*vi*) Leases out/rents out/sells out the vending site to anyone else;

(*vii*) Fails to renew the vending certificate even after the expiry of the extra time given;

(*viii*)Employs any child labour(s) below the age of 14 years; and

(*ix*) Found guilty of mis-behavior with women vendor or any other person.

13. The categories of street vendors market other than stationary vendors market and mobile vendors are as under;

(*i*) Natural markets,

(*ii*) Weekly markets,

(*iii*) Heritage markets,

(*iv*) Festival markets,

(*v*) Night Bazars,

(*vi*) Food courts, and

(*vii*)Time sharing market.

14. Manner of relocating street vendor in case of public purpose.—When any question arises relating to public purpose, the same shall be decided in consultation with the Town Vending Committee, keeping in view the following points :—

(*i*) The Town Vending Committee recommendation/consent is mandatory;

(*ii*) The street vendor shall be adjusted in the same locality/area for vending;

(*iii*) During construction/development, the street vendor(s) may be adjusted in a nearby place temporarily; and

(*iv*) After the completion of development work, the displaced street vendor(s) may be given space for vending in the original place.

15. The Manner of evicting a street vendor.—In case where public obstruction is caused or survey is proposed to be conducted to identify an equally ideal vending site for the street vendors, in such situation, place occupied un-authorizedly by the street vendors shall be vacated subject to the condition that the Town Vending Committee shall place the matter for discussion before committee at least 6 months prior.

16. The manner of giving notice for eviction of a street vendor.—Before issuing eviction order under the provisions of Act and Scheme, one month notice shall be given to the street vendor or occupier of place and if he is unknown or not traceable, the notice shall either be placed on the notice board of the Town Vending Committee office or affixed to some conspicuous part of the vending place in Form-6.

17. The manner of physical eviction of street vendor.—(1) On completion of one month notice period, the street vendor shall be punishable with penalty, which may extend to rupees two hundred and fifty for every day during which such default continues and the same shall not be more than the value of the goods seized.

(2) If the Street Vendor fails to vacate the vending place occupied within stipulated period the local authority or the person/officer authorized in this behalf by the local authority, as the case may be, may take police assistance for evicting physically the street vendor/person and shall seize all goods including perishable/non-perishable from the vending place/space, if necessary.

18. Seizure of goods by the local authority.—After seizure of goods, the local authority or the person/officer authorized in this behalf by the local authority shall prepare list of goods duly signed by him in the presence of any two witnesses available on the site of vacated space/place in Form-7.

19. Reclamation of seized goods by the street vendors and the charges thereof.—(1) Goods seized by local authority or the authorized person/officer shall be released to the street vender under the provisions of Act and the Scheme, on his written request on same day in case of perishable goods and in case of non-perishable goods within two working days, on payment of fee of Rs. 500/- (Rupees five hundred only) and Rs. 100/- (Rupees one hundred only) per day for claiming the seized goods after prescribed time limit.

(2) In case the vendor does not claim the seized goods on same day, the Town Vending Committee or the authorized person/officer of the local authority shall forthwith give a notice to the street vendor in writing in Form-8 thereby and after the expiry of the time limit given in the notice which may not be less than two days from the date of service of the notice, he shall sell such goods or in case of perishable goods destroy the same if not, useable.

(3) Any goods seized by the Local Authority or the person/officer authorized in this behalf by the Local Authority shall not be returned to the street vendor unless he turns up for claiming the same after depositing the necessary charges for the removal or storage of such goods and if he fails to do so, the same shall be sold by public auction or in such other manner after preparing the details of such articles in Form-9. The necessary charges shall be decided by the Local Authority/Town Vending Committee from time to time.

(4) the charges for the removal and storage of the goods sold under the provisions of the Act and this Scheme, shall be paid out of the sale proceeds and the balance, if any, shall be paid to the street vender/owner of goods sold, on a claim being made within a period of two months from the date of sale, and if no such claim is made within the said period, it shall be credited to the funds of Local Authority or Town Vending Committee, as the case may be.

20. The form and the manner for carrying out social audit of the activities of Town Vending Committee.—(1) The Town Vending Committee shall constitute a three members unit for the purpose of carrying out social audit of its activities required to be performed under the provisions of the Act, or the Scheme.

(2) The social audit unit shall be an independent body and shall consist of,-

(*i*) an eminent Academician in the field of sociology;

(*ii*) an eminent Social Activist; and

(*iii*) a retired Administrator.

(3) The adequate supporting secretariat staff with office space and equipments shall be provided by the local authority to the social audit unit.

(4) The social audit shall be carried out at least once in every three years. The schedule for conducting social audit shall be decided at least three months advance.

(5) The Town Vending Committee shall provide details of all relevant information to the audit unit, at least a fortnight before the social audit process commences. Such details include,—

(*i*) status of implementation of the Act, Rules and the Scheme for the street vendors;

(*ii*) the record of the minutes of the meetings of the Town Vending Committee conducted in those years;

(*iii*) the record of all registered street vendors;

(*iv*) the record of appeals made before the local authority under section 11 of the Act;

(*v*) the record of all grievances or disputes brought before the grievance redressal committee constituted under section 20 of the Act;

(*vi*) the record of the total number of evictions taken place, confiscation of goods and the relocation of street vendors taken place in those years; and

(*vii*) the records of social audit reports, if any, taken place previously.

21. Meeting and working of social audit unit.—(1) The social audit unit shall conduct meetings and focus group discussions with street vendors on various aspects of the implementation of the Act, Rules and the Scheme.

(2) The audit unit shall record in writing the grievances of the street vendors on any issue or problem faced by them.

(3) At the culmination of the social audit process, the unit shall record its findings in writing.

(4) The audit unit shall hold a social audit public meeting at the town vending committee office. The members of the committee and representatives of the local authority shall attend the meeting. The audit unit shall read out its findings at the meeting. The street vendors shall be encouraged to testify and the Town Vending Committee shall respond to each of the issues identified in the social audit by giving clarification and explanation to the affected party and the public as to why a certain action was taken or not taken.

(5) The audit unit shall give adequate advance public notice of the social audit public meeting.

(6) The local authority shall, on each findings of the social audit unit in the cases of gaps, lapses or deviations, fix responsibility and shall take immediate corrective measures or disciplinary action. In case of a dispute, an administrative enquiry may be conducted by the local authority and action be taken accordingly in the shortest time possible but in any case not later than a month.

(7) The statutory requirement of conducting social audit shall not preclude any independent initiative to carry out normal audit of accounts.

(8) The social audit report submitted in this process shall form a part of the record and shall be responded to by the Town Vending Committee. Where shortcomings are found, immediate action shall be taken as per this Scheme. The action taken report shall form part of the record.

(9) The cost of conducting social audit shall be met from the budgetary provisions of the Town Vending Committee.

22. Condition for Re-designation of private place as restriction free-vending zones, restricted–vending zones and no-vending zones.—(1) It shall be determined by the Town Vending Committee in accordance with the two and half percent of the total population of street vendors of the ward/zone.

(2) In case, the number of applicants exceeds the number of spaces available in the vending zones, the Town Vending Committee may take steps to redesignate private places with the consent of the owner concerned as restriction free-vending zones on the terms and conditions specified in the Act and this Scheme to accommodate the left out applicants.

23. Norms for up keeping public health and hygiene.—(1) The Local Authority shall provide street vendors a proper place for disposing of their waste materials in order to maintain a hygienic environment.

(2) The street vendor(s) shall use proper covered dustbin(s) for disposing of the waste materials, in accordance with the waste disposal norms set by Municipality or Solid Waste Management system of Municipality. The “street” vendors shall also pay the sanitation charges as per the norms set by the Municipality for Solid Waste Management (SWM).

(3) The Local Authority shall ensure and provide the street vendors clean and fresh water alongwith the electricity/street light facility wherever possible.

(4) The Local Authority in order to maintain public health and hygiene shall provide toilets facility with adequate water and electricity.

(5) Appropriate number of dustbins shall be provided by the Local Authority to dispose of the waste materials.

(6) Town Vending Committee may initiate group insurance scheme for the street vendors.

24. The designation of State Nodal Officer.—(1) The State Nodal Officer shall not be below the rank of Additional /Jt. Director, Directorate of the Urban Development.

(2) The State Nodal Officer shall have at least a half yearly meeting with the Local Authority in order to update the status of the street vendors.

25. The manner of maintenance of proper records and other documents by the Town Vending Committee, Local Authority, Planning authority and State Nodal Officer in respect of street vendors.—(1) On-line software may be developed by the Urban Development Department for keeping the records of the street vendors.

(2) The Municipal Authority shall enter the data of the surveyed street vendors through on-line process.

(3) The certificate of vending and identity card may be generated on-line.

(4) The website of local authority shall display the vending zones and street vendors.

26. The manner of carrying out vending activities on time–sharing basis.—The Town Vending Committee shall determine the vending activities on time-sharing basis depending on the market needs and space to the street vendors. No women vendors shall be discriminated while allotting time-sharing vending activities.

27. Determining of vending zones as restriction free vending zones, restricted vending zones and non-vending zones.—(1) The Town Vending Committee shall decide the allotment of vending space according to the particular street or market. The Town Vending Committees shall take steps to facilitate the demarcation of restriction i.e. free vending zones, restricted vending zones and non-vending zones in cities/towns for marking the plans conducive and adequate for the hawkers/street vender of the respective city/town.

(2) The Local Authority/Town Vending Committee shall provide sufficient space, designated as 'Vendors' market' in lay out plans at locations of such natural markets for the number of vendors (Stationary and mobile) which can cater to demand for their wares/services. If aspirants to such location exceed the number of spaces available, excess may be regulated by way of fees or lottery and manner prescribed under clause 8 and not by discretionary licenses.

(3) The Mobile vendor may be permitted in area even outside the designated vendors' markets' unless the same are designated as 'non-vending zone'. The 'non-vending zone(s)' may be notified in terms of location and time. With the growth of city/town every new area should have adequate provisions for street vendors.

28. Capacity of vending zones and the manner of undertaking comprehensive census and survey.—Under section 3 of the Act, two and half percent of the population of street vendors of a ward/zone shall be accommodated as per the holding capacity. The holding capacity of a vending zone shall be according to the vending site divided by the total area of the vending zone.

29. Norms of relocation.—There shall be following norms of relocation:-

(*i*) relocation should be avoided as far as possible, unless there is clear and urgent need for the land in question;

(*ii*) any kind of loss of assets shall be avoided and in case of any loss it shall be compensated;

(*iii*) affected vendors or their representative shall be involved in planning and implementation of the rehabilitation project;

(*iv*) the Town Vending Committee shall engage in the dialogues with the representatives of the markets; and

(*v*) mutually agreed place for relocation should be considered under the implementation of the rehabilitation project.

(*vi*) affected vendors shall be relocated so as to improve their livelihoods and standards of living at least to restore them, in real terms to pre-evicted levels;

(*vii*) livelihood opportunities created by new infrastructure development projects shall accommodate the eligible displaced vendors ;

(*viii*) any transfer of title or other interest in land will not affect the livelihood of street vendors on such land, and any relocation consequent upon such a transfer shall be done in accordance with the provisions of the Act;

(*ix*) State machinery shall take comprehensive measures to check and control the practices of forced evictions; and

(*x*) natural markets where street vendors have conducted business for over fifty years shall be declared as heritage markets, and the street vendors in such markets shall not be relocated :

Provided that the Local Authority may prepare a list of such markets and declare them as "Heritage Markets". The Municipal bodies in collaboration with the Tourism Department shall promote such markets as Tourist Markets.

Form-1

(*See* clause 4)

Street Vendor Certificate

Unique Registration No._____

Name of State _____

Name of Municipality _____

_____

Photograph of vendor along with his/her spouse or dependent child

Name of Vending Zone_____

Name of Vending Place_____

Category of Vending (whether Mobile/Stationery/Natural/Weekly etc.)_____

Name of the spouse or dependent child if involved in vending with the vendor_____

Age and sex of the person (s) whose photo appears/affix_____
This is to certify that _____, Husband or Father of _____, age_____ residential address, _____ Category _____ is a registered street vendor of _____, (Municipality Name) as provided under clause 6.

Date of Issue: _____

(Signature)

Valid up to: _____

Note.—The vendor shall renew the Vending Certificate after every five years.

_____

Form-2

[*See* clause 5(v)]

FORMAT FOR LETTER OF UNDERTAKING BY A STREET VENDOR

I,……, wife/ son/ daughter of Shri……, Registration/ Certificate of Vending No……..of……town vending committee, hereby declare that the certificate of vending granted to me shall not be leased, rented or sold to any other person.

I, further declare that I am not engaged in any other business/ not vending from any other vending site/ not employed with any organization.

Name and Signature of the Vendor: ……

Registration/ Certificate of Vending Number:…….

Date: *Signature of Vendor*:

Place:

_____

Form-3

(*See* clause 6)

Identity Card

<table>
<tr><th colspan="2">Name of Municipality</th></tr>
<tr><td>Unique Registration No…….....</td><td>Father’s/Husband’s Name…….....</td></tr>
<tr><td rowspan="5">Affix photo of the vendor</td><td>Category of Vending…….....</td></tr>
<tr><td>Municipal Ward/ Vending Zone…….....</td></tr>
<tr><td>Address/Location of the Vending Site…….</td></tr>
<tr><td>Residence Address……</td></tr>
<tr><td>Police Station……</td></tr>
</table>

Name …………………..................	Signature …………………………………
Age ………………….	
Sex ……………..	
Phone No. ………….	
Issuing Date……………………........	Commissioner/EO/Secretary of concerned Urban Local Body………………………………………..

Form-4

[*See* clause 11(1)]

APPLICATION FOR RENEWAL OF STREET VENDOR'S CERTIFICATE

(This form is to be completed in block letters.)

Names of applicant..
(Surname first)

Fathers Name……………………………………………………………….

Unique Registration Number..

Residence address..

Postal address..

I wish to apply for the renewal of my street vendor's certificate as follows:

(1) Areas to be covered–
....

....

(2) Trading in the following classes of goods–
....

....

Date: ....

Signature of applicant

FOR OFFICIAL USE ONLY
Date on which application was received ....

Date of approval/rejection of application ....

Signature of officer
With seal.

Form-5

[*See* clause 11(2) and (3)]

NOTICE FOR RENEWAL OF STREET VENDOR'S CERTIFICATE

Names of the Vendor.....

Father's Name:- .....

Unique Registration Number.....

Location of the vending Site.....

Residence address.....

Date of earlier notice issued .....

Postal address.....

Reasons of non renewal .....

Date:

Signature of officer
With seal

Important instruction:

(1) One month notice shall be served to the street vendor for renewal of vending certificate.

(2) After serving one month notice, if he fails to renew the vending certificate another notice may be served as to why his/her vending certificate may not be suspended or cancelled.

_____

Form-6

(*See* clause 16)

Notice for eviction of street vendor

Names of the Vendor.....
(Surname first)

Father's Name:- .....

Unique Registration Number.....

Location of the vending site.....

Residence address.....

Postal address.....

Reasons of eviction.....

Date: *Signature of officer*
With seal

Important instructions:

(1) One month notice shall be served to the street vendor or occupier of the place.

(2) If he is unknown, the notice may be placed on the notice board of the Town Vending Committee.

(3) After serving one month notice, if he fails to vacate the vending place, shall be punishable with penalty upto Rupees two hundred fifty for everyday.

(4) Where such non compliance continues in spite of notice and fine imposed, the Town Vending Committee or authorised officer as the case may be, may require police assistance to remove physically the street vendor.

_____

Form-7

(*See* clause 18)

List of Seized Goods

1. Name and address of person from whom the goods is seized.....

2. Unique Registration Number……

3. Place of seizure with date and time.....

4. Details of the Goods seized……..

   (a) Description of each goods.....

5. Name and address of person under whose custody the seized property has been kept.....

6. Signature of custodian.....

7. Approximate value of the seized good.....

8. Remarks.....
   .....
   .....

9. Name and address of the witness with their signature:

(1) .....
.....

(2) .....
.....

Date: *Signature of Officer/ Official seizing the good with full name Designation and address.*

Form-8

[*See* clause 19 (2)]

Notice for reclamation of seized goods

1. Name and address of person from whom the goods is seized …….....
.....

2. Name and address of any other claimant for the seized goods.....

3. Name and address of person under whose custody the seized property has been kept.....

4. Place of seizure with date and time.....

5. Details of the goods seized…….....

6. Approximate value of the seized good……..

7. Remarks…….....
.....

Date: *Signature of Officer/official seizing the good with Designation and address*

Form-9

[See clause 19(3)]

Detail of articles placed for auction

1. Name and address of person from whom the articles seized……

2. Name of custodian……

3. Date and place of auction……..

4. Details of articles/goods…….

5. Approximate value…….

6. Auction amount…….

7. Amount adjusted against expenses for seizing of articles/goods……..

8. Refundable amount…….

9. Witnesses……..

1 ……

2 ……...

Date:

Signature of Officer
with
Designation and address

By order,
MANISH NANDA,
Additional Chief Secretary (UD).

LABOUR AND EMPLOYMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Dated, 16 *th January,* 2017

No. Shram (A) 6-2/2014 (Awards) D/Shala.—In exercise of the powers vested under section 17(1) of the Industrial Disputes Act, 1947, the Governor Himachal Pradesh is pleased to order the publication of awards of the following cases announced by the Presiding Officer, Labour Court D/Shala on the website of the Department of Labour & Employment Government of Himachal Pradesh.—

Sr.No.	Ref. No.	Petitioner	Respondent	Date of Award/Order
1.	614/2016	Virender Kumar	Er.-in-Chief & other	05-11-2016
2.	403/2015	Kamla Kumari	E.E. HPPWD, Killar	09-11-2016
3.	406/2015	Kami Devi	E.E. HPPWD, Killar	09-11-2016
4.	408/2015	Aaj Dei	E.E. HPPWD, Killar	09-11-2016
5.	410/2015	Bodh Raj	E.E. HPPWD, Killar	09-11-2016
6.	419/2015	Sili Devi	E.E. HPPWD, Killar	09-11-2016
7.	398/2015	Negi Ram	E.E. HPPWD, Killar	09-11-2016
8.	284/2015	Bihari Lal	CSK HPKVV	16-11-2016
9.	233/2014	Gorakh Singh	Dr. Y.S.Parmar Uni.	21-11-2016
10.	402/2015	Roshan Lal	E.E. I&PH/HPPWD Killar	28-11-2016